केंद्रीय शुल्कके प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX
हैदराबाद जीएसटीआयुक्तालय
HYDERABAD GST COMMISSIONERATE
जीएसटी भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराबाद-500 004
GST BHAVAN, L B STADIUMROAD, BASHEERBAGH, HYDERABAD-500004
Phone No.040-23241117 / 23240725 Fax No. 040-23299204
e-mail:cgst.hydcommr@gov.in

IS 15700 : 2005 Certified Commissionerate

GEXCOM/VIG/MISC/349/2024-VIG-O/o Pr COMMR-CGST-HYD Date: - 09.2025.

परिपत्र संख्या 01/2025

विषय:- कार्यस्थलों में महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच हेतु आंतरिक शिकायत समिति का गठन – संबंधित

******

कार्यस्थलों में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण,प्रतिषेधऔर प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (एस एच डबल्यू डबल्यू पी अधिनियम, 2013) की धारा 4 (1) के प्रावधानों के अनुसरण में आंतरिक शिकायत समिति का गठन निम्नलिखित रूप से किया गया है:-

क्रमांक संख्या	अधिकारी का नाम श्री / श्रीमती / सुश्री	पदनाम	संपर्क
1	के. शर्मीला, संयुक्त आयुक्त	अध्यक्ष	9445458790
2.	के. वी. रमा देवी, सहायक आयुक्त	सदस्य	9502612121
3.	पी. मीनाक्षी अधीक्षक	सदस्य	9000232291
4.	एम. राजेंद्र कुमार, अधीक्षक	सदस्य	9848884266
5.	जे. सौम्यश्री, अधीक्षक	सदस्य	9704481467
6.	शेषांका बिनेश, जी एम, प्रत्युषा सपोर्ट (गैर सरकारी संगठन)	सदस्य	9000775437
7.	वाई. कीर्तना, निरीक्षक	सदस्य	9177104042

2. आंतरिक शिकायत समिति,हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय के क्षेत्राधिकार में महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की सभी शिकायतों की जाँच करेगी । कामकाजी महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न को रोकने के लिए निम्नलिखित निर्देशों और नियमों का अनुपालन किया जाए:

(i) कोई भी कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर किसी भी महिला के लैंगिक उत्पीड़न संबंधी किसी भी कृत्य में लिप्त नहीं होना चाहिए।

(ii) लैंगिक उत्पीड़न में, चाहे प्रत्यक्ष या अन्यथा किसी भी तरह का अवांछनीय व्यवहार शामिल है, जैसे
(क) शारीरिक संपर्क और अग्रगमन की कोशिश करना ।
(ख) लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना ।
(ग) लैंगिक अत्युक्तटिप्पणियाँ करना ।
(घ) अश्लील साहित्य दिखाना ।
(ई) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक/अमौखिक आचरण करना ।

(iii) एस एच डबल्यू डबल्यू पी अधिनियम, 2013 की धारा 3 (1) के अनुसार, अन्य परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियाँ, लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में होती हैं, लैंगिक उत्पीड़न की कोटी में आ सकेंगी:-
(क) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार विवक्षित या सुस्पष्ट वचन देना; या
(ख) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या
(ग) उसके वर्तमान या भावी नियोजन की प्रास्थिति के बारें में विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या
(घ) उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभित्रासमय या संतापकारी या प्रतिकूल कार्य वातावरण सृजित करना; या
(ई) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला अपमानजनक व्यवहार करना।

(iv) यदि इस प्रकार का कोई भी कृत्य भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय है, तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को शिकायत कर सकते हैं।

3. इस आयुक्तालय में कार्यरत सभी महिला अधिकारी, उपर्युक्त किसी भी प्रकार की घटना का सामना करती हैं तो वे समिति के किसी भी सदस्य को लिखितरूप मेंप्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं।

4. आंतरिक शिकायत समिति के कार्य नियमों का विवरण इस परिपत्र के अनुलग्नक के रूप में दिया गया है।

5. इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Digitally signed by
V Vivekananda Reddy
Date: 09-09-2025
13:41:29

(वी. विवेकानंद रेड्डी / V VIVEKANAND REDDY)
संयुक्त आयुक्त / JOINT COMMISSIONER

सेवा में,
हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालयके सभी अधिकारी।

प्रतिलिपि प्रस्तुत:
1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर और सीमा शुल्क, हैदराबाद क्षेत्र, हैदराबाद।

प्रतिलिपि:

1. अपर / संयुक्त आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं सीमा शुल्क, हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय, हैदराबाद।
2. अध्यक्ष एवं समिति के सभी सदस्य।
3. सभी उपायुक्त/ सहायक आयुक्त, हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय,हैदराबाद।
4. मुख्य लेखा अधिकारी,हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय, हैदराबाद।
5. मंडल कार्यालयों के प्रशासनिक अधिकारी एवं मुख्यालय के सभी अनुभाग प्रमुख,हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय।
6. श्रीमती शेषांका बिनेश, महाप्रबंधक, प्रत्युषा सपोर्ट, अबीड्स, हैदराबाद।
7. मुख्यालय एवं हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय के मंडल कार्यालयों के सूचना पट्ट।
8. अधीक्षक (प्रशासन) हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय को डिस्प्ले बोर्ड में इसके प्रदर्शन के निदेश सहित।